भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5457

जिसका उत्तर 03.04.2025 को दिया जाना है

तमिलनाडु में एलिवेटेड एक्सप्रेसवे

5457. श्री के. गोपीनाथ:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में ताम्बरम और चेंगलपट्टू के बीच एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के लिए लंबित स्वीकृतियों का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त परियोजना के लिए स्वीकृति प्रक्रिया में देरी का कारण बनने वाली विशिष्ट चुनौतियाँ या अड़चनें क्या हैं;

(ख) स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं तथा सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय-सीमा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त परियोजना के लिए प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली वित्तीय और तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत दस वर्षों के दौरान स्वीकृत या लंबित अन्य एलिवेटेड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा उन्हें प्रदान की गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात की भीड़भाड़ कम करने और जाम की समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से प्रमुख शहरों/शहरी केंद्रों और राज्य की राजधानियों में विकास के लिए रिंग रोड**,** बाईपासों और उत्थापित (एलिवेटिड) कॉरिडोर के लिए प्रस्तावों पर कार्य करती है। जहां तक एनएच-32 के तांबरम और चेंगलपट्टू के बीच के भाग में भीड़भाड़ को कम करने का संबंध है**,** उक्त भाग में उत्थापित सड़क के निर्माण की संभावना तलाशने के विकल्प सहित चेन्नै और त्रिची के बीच के भाग के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम सौंपा गया है। डीपीआर के परिणाम**,** यातायात घनत्व**,** गति में कमी**,** शहर में प्रवेश करने/बाहर निकलने वाली सड़कों की संख्या**,** सड़कों की स्थिति**,** पारस्परिक प्राथमिकता और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ तालमेल के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विकल्पों का मूल्यांकन हेतु डीपीआर/व्यवहार्यता कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ निश्चित भागों में**,** भूमि अधिग्रहण में बाधाओं अथवा यातायात की बहुत अधिक मात्रा के मामले में**,** राजमार्ग के ऐसे खंडों को या तो पुनःसंरेखित/उत्थापित किया जाता है। ऐसे निर्णय संपर्कता की आवश्यकता**,** अनुमानित यातायात**,** पारस्परिक प्राथमिकता और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ तालमेल के आधार पर लिए जाते हैं। इसके अलावा**,** परियोजना की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए**,** राज्य सरकार को कई बार भूमि अधिग्रहण लागत**,** जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण की लागत**,** रॉयल्टी की प्रतिपूर्ति और जीएसटी के राज्य घटक को साझा करने हेतु अनुरोध किया जाता है। ऐसे समझौते परियोजना विशिष्ट होते हैं।

*****